

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 137] No. 137] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2015/वैशाख 3, 1937

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2015/VAISAKHA 3, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना

हैदराबाद, 15 अप्रैल, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/3/93/2015.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 6ए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- अध्याय ।
 - 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के इक्किटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 कहलाएंगे।
 - (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. परिभाषाएँ इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --
 - (क) 'अधिनियम' से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
 - (ख) 'प्राधिकरण'से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 - (ग) 'शेयरों के अंतरण' में वर्तमान शेयरधारक से किसी अन्य व्यक्ति को शेयरों का

अंतरण शामिल है तथा इसमें इक्किटी शेयरों का हस्तांतरण और नया निर्गम शामिल है जिनके कारण किसी बीमा कंपनी की शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन हो।

- (घ) 'शेयरधारिता के स्वरूप'से शेयरधारिता का वह स्वरूप अभिप्रेत है जो प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करते समय अथवा परवर्ती समय में अनुमोदित किया गया हो।
- (ङ) 'भारतीय प्रवर्तक'से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 में 'भारतीय प्रवर्तक' के रूप में परिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है।
- (च) 'निवेशक' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो बीमा कंपनियों के इक्किटी शेयरों में निवेश करने के लिए अन्यथा पात्र है तथा इसके अंतर्गत भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 में यथापरिभाषित विदेशी निवेशक शामिल है।
- (छ) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) में, अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय II : शेयरों का अंतरण

अंतरण का पंजीकरण :

- 3.किसी बीमा कंपनी के शेयरों के अंतरण अथवा इक्विटी पूँजी के निर्गम, जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारिता में परिवर्तन हो जाए, का पंजीकरण नहीं किया जाएगा, जहाँ.
 - क. अंतरण के बाद बीमा कंपनी के शेयरों में अंतरिती की कुल चुकता धारिता उस कंपनी की चुकता पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक होने की संभावना हो, अथवा
 - ख. किसी व्यक्ति, फर्म, समूह, समूह के घटकों, अथवा एक ही प्रबंधन के अधीन निगमित निकाय द्वारा संयुक्त रूप से अथवा पृथक् रूप से अंतरित किये जाने के लिए अभीष्ट शेयरों का अंकित मूल्य बीमा कंपनी की चुकता इक्किटी पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक हो.

जब तक कि उपर्युक्त अंतरण के लिए प्राधिकरण का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया हो।

अंतरण के लिए आवेदन :

4. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए के उपबंधों के अधीन प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए आवेदन फार्म ए में प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज और फार्म बी में विनिर्दिष्ट किये अनुसार अंतरिती के ब्योरे प्रस्तुत किये जाएँगे तथा प्रस्तावित अंतरिती का पूरा विवरण, उसकी वित्तीय क्षमता, निधियों के स्रोत जहाँ से प्रस्तावित निवेश करना अभीष्ट हो, तथा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानेवाली ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

हितकारी शेयरधारिता :

5. शेयरों के अंतरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तावित शेयरधारक से प्राप्त घोषणा प्रस्तुत की जाएगी कि शेयरों का धारण अपने स्वयं के हित के लिए अथवा अन्यों की ओर से नामिती के रूप में, चाहे संयुक्त रूप से हो अथवा पृथक् रूप से, करना प्रस्तावित है तथा नामिती के रूप में धारण की स्थिति में हिताधिकारी स्वामी अथवा स्वामियों का नाम, व्यवसाय और पता एवं प्रत्येक के लाभकारी हित की सीमा का

स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

समुचित सावधानी :

6. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए(4) के उपबंधों के अधीन शेयरों के अंतरण के पंजीकरण के लिए अथवा प्रस्तावित अंतरिती को शेयरों के निर्गम के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पहले प्राधिकरण प्रस्तावित अंतरिती के संबंध में अपेक्षित रूप में समुचित सावधानी बरतेगा।

अध्याय III: अनुमोदन के लिए शर्त

भारतीय प्रवर्तक :

- 7. भारतीय प्रवर्तक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रूप में किसी बीमा कंपनी में शेयर धारित करेंगे। बशर्ते कि प्राधिकरण अपना अनुमोदन प्रदान करते समय प्रवर्तकों के लिए ऐसी शर्तें निर्धारित करेगा जो वह उपयुक्त समझेगा जिनमें निम्नलिखित मदें शामिल होंगी परंतु वे इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी:
 - क. न्यूनतम अवरुद्धता अवधि (लॉक इन पीरिय़ड);
 - ख. आवधिक अंतरालों पर अपनी शेयरधारिता के अनुपात में अथवा अन्य प्रकार से अतिरिक्त पूँजी लगाना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीमा कंपनी हर समय विनियामक शोधक्षमता की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है; तथा
 - ग. उक्त बीमा कंपनी को आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के अधीन आर3 प्रदान करते समय प्रवर्तकों पर लागू की गई सभी विनियामक शर्तों का अनुपालन करना।

विदेशी निवेशक :

- 8. विदेशी निवेशक भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार किसी बीमा कंपनी में शेयर धारित करेंगे। बशर्ते कि प्राधिकरण अपना अनुमोदन प्रदान करते समय ऐसी शर्तें निर्धारित कर सकेगा जो वह उपयुक्त समझेगा जिसमें निम्नलिखित मदें शामिल होंगी परंतु वे इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी-
 - क. न्यूनतम अवरुद्धता अवधि (लॉक इन पीरियड);
 - ख. आवधिक अंतरालों पर अपनी शेयरधारिता के अनुपात में अतिरिक्त पूँजी लगाना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीमा कंपनी हर समय विनियामक शोधक्षमता की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है; तथा
 - ग. उक्त बीमा कंपनी को आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के अधीन आर3 प्रदान करते समय प्रवर्तकों पर लागू की गई सभी विनियामक शर्तों का अनुपालन करना।

भारतीय निवेशकों की धारिताओं संबंधी उच्चतम सीमा :

- विदेशी निवेशकों को छोड़कर अन्य निवेशक किसी बीमा कंपनी में निम्नलिखित शर्तों के अधीन शेयर धारित करेंगे
 - क. जहाँ किसी बीमा कंपनी में एक अथवा उससे अधिक निवेशक हों, वहाँ कोई भी निवेशक ऐसी बीमा कंपनी की चुकता इक्किटी शेयर पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक शेयर धारित नहीं करेगा।
 - ख. उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट रूप में सभी निवेशक संयुक्त रूप से बीमा कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी के पञ्चीस प्रतिशत से अधिक धारित नहीं करेंगे।

3.

(लॉक इन पीरियड) निर्धारित की थी

अर्थिनिर्णय :

10. इन विनियमों का अर्थनिर्णय प्राधिकरण का होगा तथा सभी विषयों पर प्राधिकरण के निर्णय सभी आवेदकों पर बाध्यकारी होंगे।

> टी. एस. विजयन, अध्यक्ष [विज्ञापन. III/4/असा./161/25/15]

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए के अनुसार शेयरों के अंतरण के

अनुमोदन के लिए आवेदन

क्रम सं.	रण का प्रमाणपत्र प्रदान करते समय उक्त बी प्रवर्तक / शेयरधारक	धारित शेयरों की संख्या		लॉक-इन- पीरियड (वर्षों की संख्या)	लॉक-इन - पीरियः समाप्त होने की तारीख
	1	To reference to	na merona		WI CIG
	2	To saying provide	¢-	59119 (21-15)	
	3				
	ान करने के बाद	(जहाँ ल	ागू हो) के अनुसार	प्राधिकरण का अ	पेक्षित

क्रम	प्रवर्तक / शेयरधारक	धारित शेयरों	कुल	लॉक-इन-	लॉक-
सं.	और उपयुक्त (किट एम्ब्र प्रोपुर) छि। क. प्रकाशित अंतरिती के विश्वत की गर्द	की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	पीरियड (वर्षों की	इन
	रीवानी/आभटाचिक/विक्रियार्थक कार्रवा विवेदन प्रस्तुत करते हुत चीववा		: माम का निर्मात	संख्या)	पीरियड समाप्त
	ह का नंदरिया अवस्या अंतरिती क्ष्मित्र भा नोट बिटिविधन विजीत स्वस्ताय	16 40 July 18	अंगरिती का ब्यार	(पन्याचित	होने की तारीख
ज्ञाह \ हेस	िक्तिमार १ क्रिक्ट्राक्त \ <i>्रामित</i>		: 61:61	pa figure	S
	संस्था / सहकादी समिति / तेक / वि				

4. (बीमा कंपनी का नाम) नीचे दिये गये विवरण के अनुसार इसके द्वारा (i) प्रवर्तक (प्रवर्तकों) / निवेशक (निवेशकों) द्वारा धारित शेयरों के अंतरण के पंजीकरण और / या (ii) निजी स्थानन के माध्यम से अधिमानी आधार पर शेयरों के आबंटन के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए(4)(बी)(ii) / (iii) के अनुसार प्राधिकरण के अनुमोदन की अपेक्षा करती है:

क्रम सं.	वर्तमान निवेशक	प्रवर्तक /	धारित शेयरों की संख्या	वर्तमान शेयर- धारिता का प्रतिशत	नये प्रवर्तक / निवेशक	अंतरण / आबंटन के बाद धारित शेयरों की संख्या	बाद शेयरधारिता का प्रतिशत
			7777888888		/95 mm	: (\$ 167f) = (4 fs f f f	8934K.
- 3-1					KY STREET	ाव क्लिश्की का	8.
5				ine (meye i	E PRESENT	S & 788979 1533	93161

प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद हम सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे जिनमें कारपोरेट विधियाँ और जैसी लागू हों कोई भी अन्य शर्तें शामिल होंगी परंतु ये अपेक्षाएँ उन्हीं तक सीमित नहीं होंगी।

स्थान:

दिनांक:

(दस्ताक्षर)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी / अध्यक्ष

(बीमा कंपनी का नाम)

1800 517 15-2

संलग्न : फार्म बी

फार्म-बी

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	प्रस्तावित अंतरिती का नाम : (प्रस्तावित अंतरिती का ब्योरा देते हुए नाम और पूरा पता)	स्वयुक्त, प्रवरणा । य प्रमान प्रवेश क्लेकिंग त: शिक्तने प्रवेश क्लोकें
2.	कानूनी रूप / स्थिति :	व्यक्ति / एलएलपी / भागीदारी फर्म / कारपोरेट संस्था / सहकारी समिति / बैंक / वित्तीय संस्था / कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
3.	निगमन की संख्या और दिनांक : (व्यक्ति के मामले में जन्मतिथि)	e de la companya del companya de la companya del companya de la co
4.	आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (पैन) तथा आयकर सर्कल का नाम और पता	(Research of the careful of the care
5.	(क) अंतरिती की स्थिति :	निवेशक / प्रवर्तक
riere \	(ख) क्या निवेशक और/या प्रवर्तक अथवा उसकी समूह कंपनी भी किसी बीमा मध्यवर्ती में शेयरधारक हैं। (यदि हाँ, तो पूरा विवरण दें)	frage control company to the second
	(ग) क्या निवेशक और / या उसके प्रवर्तक अथवा उसकी समूह कंपनी की किसी अन्य बीमा कंपनी में शेयरधारिता है। (यदि हाँ, तो पूरा विवरण दें)	
6.	प्रस्तावित अंतरिती का सहमति पत्र (कारपोरेट संस्था के मामले में अधिग्रहण का अनुमोदन करने वाले बोर्ड के संकल्प की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें)	The serve party of the server
7.	जैसा लागू हो, संबंधित अधिकार-क्षेत्र/क्षेत्र विनियमनकर्ता द्वारा किये गये अपेक्षित अनुमोदनों की प्रतियाँ	Abil My kill it than Mill by the it is in the fill of
8.	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 2000 (फेमा) के अधीन अपेक्षित अनुमोदनों की प्रतियाँ	Teles accident of the fine fine from the first
9.	भारतीय प्रतियोगिता आयोग के उपबंधों के अधीन अपेक्षित अनुमोदनों की प्रतियाँ, यदि कोई हों।	
10.	प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानेवाली सभी शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए प्रस्तावित अंतरिती का सहमति पत्र	ery mea © magrance Compensist Regularia
11.	संशोधित शेयरधारिता के स्वरूप के संबंध में यदि कोई सरोकार हों तो उन्हें निर्दिष्ट करते हुए बीमा कंपनी से पुष्टि	
	(केवल असूचीबद्ध संस्थाओं के लिए लागू)	velopment Authority of India artiplished usual
12.	शेयर जारी करने की अपेक्षा करते हुए आवेदक कंपनी के बोर्ड का संकल्प, यदि लागू हो	

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
13.	योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर)	हामांड महिला में सिर्माल संस्थान है।
	क. प्रस्तावित अंतरिती के विरुद्ध की गई / लंबित	अवस्ति ।
	दीवानी/आपराधिक/विनियामक कार्रवाई का	
	विवरण प्रस्तुत करते हुए घोषणा	E3122
	ख. क्या अंतरिती अथवा अंतरिती के निदेशकों	The state of the s
	को कोई विनियमित वित्तीय व्यवसाय करने	
	के लिए लाइसेंस अथवा प्राधिकार देने से	
	कभी इनकार किया गया है (अथवा उसे	
	वापस लिया गया है)	
	(यदि हाँ, तो उसका पूरा विवरण दें)	
	ग. किसी सरकार, विनियामक अथवा	
	व्यावसायिक निकाय द्वारा की गई किसी भी	
	निंदा अथवा प्रारंभ की गई अनुशासनिक	legative major is familied Migraeli, 1900
169 6	कार्रवाई का विवरण	
	घ. क्या किसी सरकारी विनियामक अथवा	
	व्यावसायिक निकाय ने कभी ऐसी किसी कंपनी, फर्म अथवा संगठन की जाँच-पड़ताल	
	की है जिसके साथ निदेशक और प्रमुख व्यक्ति	
	निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक अथवा	
	शेयरधारक के रूप में संबद्ध रहे हैं।	
	(यदि हाँ, तो पूरा विवरण दें)	
14.	बीमा कंपनी के पास विद्यमान/करने के लिए प्रस्तावित	
	किसी भी करार का विवरण	
15.	हितकारी स्वामित्व के लिए घोषणा :	P.Z.
	अंतरिती द्वारा घोषणा कि क्या वह शेयरों का धारण	riyderaba
	अपने स्वयं के हित के लिए करना चाहता है अथवा अन्यों की ओर से नामिती के रूप में, चाहे वह संयुक्त	BUNG CHA MOTABBURTA KARUSA Kandaran katawa Mataba
		Land a supplemental and it
	रूप से हो अथवा पृथक् रूप से, तथा नामिती के रूप में धारण करने की स्थिति में हिताधिकारी स्वामी अथवा	ection 6A of the insurance Act. 1938 (4.9f.)
	स्वामियों का नाम, व्यवसाय और पता देते हुए प्रत्येक	evelopment Authority Act. 1 20,41 of 1999) cumultee, hereby makes the following regulate
	के लाभकारी हित की सीमा स्पष्ट की जाए।	Reingar getwonor and saken goods continued
16.	जहाँ अंतरण के अनुरोध से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	Short little and commencement(1316e
10.	(एफडीआई) में 26 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होगी, वहाँ	
	विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के	
	अनुमोदन की स्थिति प्रस्तुत करें	Definitions, in those regulations, unless the cor-
17.	"भारतीय स्वाधिकृत और नियंत्रित" के उपबंधों का	a) AFF means we maintance Act 1936 (4 d
17.	अनुपालन	of "Authority" means the Insurance Regul
	(इस पर एक संक्षिप्त नोट संलग्न करें)	sub-section (1) of section 3 of the Insura

क्रम सं.	विवरण	(apaS)	टिप्पणी	loses I lesson
18.	प्रस्तावित अंतरिती से संबंधित	दस्तावेज (जैसा लागू	क. संस्था के बहि	र्नेयम और संस्था के अंतर्निय़म
	हो):		ख. निदेशकों की स	
44	THE REAL PROPERTY.		ग. साझेदारों	की शेयरधारिता का
	प्रस्ताबित संसरियी का नाम		स्वरूप/विवरण	Type
	रेक्ट्यानिक अंतरिको सर अवेतर के		घ. प्रमुख प्रबंधकी	य कार्मिक
		विसाध करते	ङ. पिछले पाँच व	र्षों के लिए वित्तीय विवरण
		स्वार देने से (अधवा उसे		ोय सुदृढ़ता आदि; के बारे में
				र्षों के लिए आयकर विवरण
		(5.7	ज. अन्य संस्थाअ	ों में निदेशन/ साझेदारी/
		क अवदा		1 प्रतिशत और उससे अधिक
		the final of	इक्विटी धारिता	
		अनुशासांन क		पुष्टि करते हुए स्वयं के द्वारा पथ-पत्र कि साथ में दिये गये
		TERR FR	संलग्नकों सहित	फार्म ए और बी में प्रस्तुत की
		ner hell that	गई सूचना सह	ही और पूर्ण है तथा कोई भी
	error di Armania di Santa di S		बात न तो छि गई है।	पाई गई है और न ही दबाई
		11/17 E F K	ञ. कोई अन्य सचन	ता जो संगत समझी गई हो।

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

Hyderabad, the 15th April, 2015

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (TRANSFER OF EQUITY SHARES OF INSURANCE COMPANIES) REGULATIONS, 2015

F. No. IRDA/Reg/3/93/2015.—In exercise of the powers conferred by section 114A read with Section 6A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and with section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:-

CHAPTER I

- 1. Short title and commencement.—(1)These regulations may be called Insurance Regulatory and Development Authority of India (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.-In these regulations, unless the context otherwise requires, -
- (a) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- (b) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);

- (c) "Transfer of Shares" includes transfer of shares from existing shareholder to another person and includes transmission and fresh issuance of the equity shares which lead to change in the shareholding pattern of an insurance company;
- (d) "Shareholding Pattern" means the shareholding pattern which was approved by the Authority at the time of grant of certificate of registration or at any subsequent time;
- (e) "Indian promoter" means a person defined as "Indian Promoter" in the Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000;
- (f) "Investor" means a person who is otherwise eligible to invest in the equity shares of insurance companies and includes a foreign investor as defined in Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015;
- (g) All words and expressions used herein and not defined in but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), shall have the meanings respectively assigned to them in the those Acts.

Chapter II: Transfer of Shares

Registration of Transfer:

- 3. No registration of transfer of shares or issue of equity capital of an insurance company which would result in change in the shareholding shall be made, where,
 - a. after the transfer, the total paid up holding of the transferee in the shares of the insurance company is likely to exceed five percent of its paid up capital, or
 - b. the nominal value of the shares intended to be transferred by any individual, firm, group, constituents of a group, or body corporate under the same management, jointly or severally exceeds one percent of the paid up equity capital of the insurance company, unless the previous approval of the Authority has been obtained for the said transfer.

Application for Transfer:

4. The application seeking prior approval of the Authority under the provisions of Section 6A of the Insurance Act, 1938 shall be made in Form A. The Application shall be accompanied by the requisite documents and the details of the transferee as specified in Form B providing complete details of the proposed transferee, its financial strength, sources of funds from which the proposed investment is intended to be made, and such other information as may be prescribed by the Authority.

Declaration on Beneficial Shareholding:

5. The application for transfer of shares shall be accompained by a declaration from the proposed shareholder whether the shares are proposed to be held for his own benefit or as a nominee, whether jointly or severally, on behalf of others and in the latter case giving the name, occupation and address of the beneficial owner or owners, and the extent of the beneficial interest of each.

Due Diligence:

6. The Authority shall carry out the requisite due diligence of the proposed transferee prior to grant of approval for registration of transfer of shares under the provisions of Section 6A (4) of the Insurance Act, 1938, or for issue of shares to the proposed transferee.

Chapter: III: Condition for Approval

Indian Promoters:

- 7. The Indian promoters shall hold shares in an insurance company as approved by the Authority.
 - Provided that the Authority shall, while according its approval, prescribe such conditions on promoters as it may consider appropriate, including but not limited to:
 - a. Minimum lock in period;
 - Infusion of additional capital in proportion of its shareholding or otherwise, at periodic intervals to
 ensure that the insurance company is compliant with the regulatory solvency requirements at all
 times; and

1800 457 15-3

c. Compliance with all regulatory stipulations imposed on the promoters while granting R3 under the IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000 to the said insurance company.

Foreign Investors:

The Foreign investors shall hold shares in an insurance company in accordance with the provisions of Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015.

Provided that the Authority, while according its approval, may prescribe such conditions as it may consider appropriate, including but not limited to:

- a. Minimum lock in period;
- b. Infusion of additional capital in proportion of its shareholding at periodic intervals to ensure that the insurance company is compliant with the regulatory solvency requirements at all times; and
- c. Compliance with all regulatory stipulations imposed on the promoters while granting R3 under the IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000 to the said insurance company.

Ceiling on holdings of Indian Investors:

- The Investors excluding the foreign investors shall hold shares in an insurance company subject to the following conditions
 - a. Where there are one or more investors in an insurance company, no investor shall hold shares in an insurance company exceeding ten per cent of the paid up equity share capital of such insurance company.
 - b. All investors as indicated at (a) above, jointly shall not hold more than twenty five percent of paid up equity share capital of the insurance company.

Interpretation:

10. The interpretation of these regulations shall be that of the Authority, whose decisions on all issues shall be binding on all applicants.

T. S. VIJAYAN, Chairman [ADVT. III/4/ Exty./161/25/15]

FORM A

Application for approval of transfer of the shares in terms of Section 6A of the Insurance Act, 1938

- 2. The shareholding of the insurance company at the time of grant of certificate of registration was under

Sl. No.	Promoter / Shareholder	No. of shares held	Per cent of total shareholding	Lock-in-period (No. of years)	Lock-in period ends on (Date)
	1	ngé sol hoisings	Dilli zereed)		-19 rbs)
esgradaq r	2	systems statem. systems at gaile	e no es comune troit proprovinto allaria provincione com		
aurofal B. Orci	3	i kolistan eli 10 a	suboquiq di salge c a yeseaso sal	oneg in Book militier Executions to point coast with the mare	M a

3.	Post registration of the insurance company, the shares of promoters /
	investors were transferred in favour of post grant of requisite approval of the Authority
	vide its letter no dated (where applicable).

While granting approval for transfer of the said shares, the Authority had stiupulated a lock in period on the incumbent transferee(s), as per details furnished as under

Sl. No.	Promoter/ Shareholder	No. of shares held	Per cent of total shareholding	Lock-in-period (No. of years)	
-	investor? conster		200	(a) Transferoe sta	on (Date)
1133	De la resulta de regional de la regi	l ne Wi	Sionenda gela ous y	Leginos quosa	
		(alie	objection of the control	(If yes, then p	

4. The (Name of the Insurance Company) hereby seek approval of the Authority in terms of section 6A (4) (b) (ii) / (iii) of the Insurance Act, 1938 for (i) registration of transfer of shares held by the promoter (s) / investor (s) and / or (ii) allotment of shares on preferential basis through private placement as per details given below:

SI. No.	Existing Promoter/ Investors	No. of Shares held	Per cent of Existing Shareholding	New Promoter/ Investors	No. of Share held post Transfer/ Allotment	
			The second	sn) vd (alexenige	enziopai lo d	øigo.
				eldioilega es totalu	0710102 9036	Abel at
			ngmo (approvata under	memper	engos Shoxilina

On receipt of approval from the Authority, we shall ensure compliance with all regulatory requirements, including but not limited to the Corporate Laws and any other stipulations as may be applicable.

Place:

Date:

(Signature)
Chief Executive Officer/Chairman
(Name of the Insurance Company)

Enclosed: Form B

Form-B

		in issue the early applicable
Sl. No.	Particulars	Remarks
1	Name of the Proposed Transferee: (Name and Full address giving the details of the proposed Transferee)	need days on a constant of the
2.	Legal Form / Status :	Individual / LLP/ Partnership firm / Corporate Entity / Co-operative Society/ Bank/ Financial Institution/ Any other (pl specify)

SI. N	o. Particulars	Pour registration and to nother trans-
3.	No. and Date of Incorporation:	Remarks
р Болго	(Date of Birth in case of Individual)	While gramme approval for transfer
4.	Permanent Account Number under the Income Tax Act and name and address of Income Tax Circle	REPRESENTATION OF SERVICES SERVICES OF SER
5	(a) Transferee status:	Investor/Promoter
	(b) Whether the investor and/or promoter or its group company are also shareholder in an insurance intermediary.	
	(If yes, then please give complete details)	
	(c) Whether the investor and/or its promoter or its group company is having share holding in any other insurance company.	Comment of the commen
	(If yes, then please give complete details)	
6	Letter of Consent of proposed Transferee	
	(Please provide copy of Board resolution approving acquisition in case of Corporate entity)	
7.	Copies of requisite approvals by the relevant jurisdiction / sector regulator as applicable	
8.	Copies of requisite approvals under Foreign Exchange Management Act, 2000 (FEMA)	
9.	Copies of requisite approvals, if any under the provisions of Competition Commission of India.	BBAA odi more is valegy. The love of
10.	Letter of Consent of the proposed Transferee confirming compliance with all stipulations as may be laid down by the Authority	17/46
11.	Confirmation from the insurance company (applicable only in case of unlisted entities) indicating concerns, if any, on the revised shareholding pattern.	
12.	Board Resolution of the applicant company seeking to issue shares, if applicable	- 11 H 1 1 4 2 5 C 1 1 1 1 1
13	Fit and Proper a. Declaration providing details of civil/criminal/ regulatory action taken/pending against the proposed transferee	St. No. Peroculars Let Name of the Proposed Transf
	b. Whether the transferee or the Directors of the transferee have ever been refused (or had	proposed Tr passered)
	revoked) a license or authorisation to carry on any regulated financial business. (If yes, then please give complete details thereof)	
1	c. Details of any censure or disciplinary action initiated by any Government, Regulatory or	

Sl. No.	Particulars	rass	Remarks
1	Professional Body.		
With the sec	d. Whether any Governmental Regulatory or Professional Body has ever investigated any company, firm or organisation with which the Directors and key persons have been associated as a director, officer, manager or shareholder. (if yes, then provide the complete details)		Hat Loss an Ecresia
14	Details of any Agreement in place / proposed to be entered into with the insurance company.		
15	Declaration for the Beneficial ownership: A declaration by the transferee as to whether he proposes to hold the shares for his own benefit or as nominee, whether jointly or severally, on behalf of		
	others and in the latter case giving the name, occupation and address of the beneficial owner or owners, and the extent of the beneficial interest of each.		
16.	Where the request for transfer will lead to increase in FDI beyond 26 percent then please furnish the status of the approval of Foreign Investment Promotion Board (FIPB)		
17.	Compliance of provisions of "Indian owned and controlled" (please attach a brief note on the same)		
18	Documents pertaining to the proposed Transferee (as applicable):	a. b. c. d. e.	Memorandum of Association and Articles of Association List of the Directors Shareholding pattern / details of partners Key Managerial personnel Financial statements for the previous five years Brief note about the background, financial strength; etc.
		g. h.	Income tax statements for last five years Details of Directorship / Partnership/Shareholding (equity shares holding of one per cent and above) in other entities Self Attested Affidavit confirming that the information furnished in Forms A and B alongwith the attachments therewith is correct and
		j.	complete, and nothing has been concealed or suppressed. Any other information, which may be considered relevant.